



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com

website:www.sudaup.org

पत्रांक— ०६९ /२४१ /एन०यू०एल०एम० /तीन /२००१ (SEP)

दिनांक— ११/०१/१६

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर  
नगर निगम— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद,  
बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद तथा मेरठ।
3. परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,  
शहर— लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ,  
बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्मल, चौरासी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद,  
मुगलसराय, बड़ौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर,  
गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर,  
महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर,  
शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरेया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट  
धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा,  
मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेरी,  
झानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा  
(श्रावस्ती)।

**विषय: स्व-रोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत समूह में ऋण (SEP-G) के संबंध में।**

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु स्व रोजगार/लघु उद्योग स्थापना के लिए व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त घटक हेतु जारी गाईड लाइन के प्रस्तर-7 के बिन्दु संख्या-4.2 में समूह में ऋण प्राप्त करने हेतु निम्नवत् विवरण दिया गया है “*A SHG or member of an SHG constituted under SJSRY/NULM or a group of urban poor desirous of setting up a group enterprise for self-employment can avail benefit of subsidized loan under this component from any Bank*”

गाईड लाइन के उक्त विवरण के अनुसार SJSRY/NULM में गठित SHG या SHG सदस्य या शहरी गरीब का एक समूह जो स्व रोजगार हेतु समूह में उद्यम स्थापित कर सब्सिडी आधारित ऋण का लाभ ले सकते हैं।

गाईड लाइन के उपरोक्त विवरण से परिलक्षित होता है कि SJSRY/NULM के अन्तर्गत गठित SHG या SHG के सदस्यों के अतिरिक्त भी शहरी गरीबों का समूह SEP-G के अन्तर्गत

समूह में ऋण प्राप्त कर सकता है। इस शहरी गरीबों के समूह में महिला एवं पुरुष दोनों हो सकते हैं या सिर्फ पुरुष हो सकते हैं।

स्व रोजगार कार्यक्रम(SEP) के अन्तर्गत समूह में ऋण प्रदान करने हेतु गाईड लाइन की मंशा एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सकती है ताकि उक्त घटक में प्रगति लाई जा सके।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायता परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त शहर मिशन प्रबंधक।
5. वेब मास्टर, सूडा को ई-मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक